छत्तीसगढ़ शासन
विमानन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

//सार्वजनिक सूचना//

रायपुर, दिनांक 29-10-14

क्रमांक एफ 2–3/2012/45/विमानन विभाग/2012, छत्तीसगढ़ राज्य में वायु सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये राज्य शासन जनहित में प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित हवाई पट्टियों से वायु सेवाएं संचालित करने के लिये इच्छुक एयर सेवा ऑपरेटर्स/कंपनी जिनके पास नॉन शैड्यूल परमिट है, से निम्न शर्तो पर प्रस्ताव आमंत्रित करता है :–

1. ऑपरेटर के पास वायुसेना संचालन के लिये नॉन शैड्यूल ऑपरेटिंग (NSOP) परमिट होना चाहिए तथा वह डीजीसीए/राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सभी नियमों का पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा ।
2. ऑपरेटर एयरक्राप्ट का बेस छत्तीसगढ़ में ही स्थापित करेगा ।
3. ऐसी सेवाएं संचालित करने के पूर्व ऑपरेटर को समान अवस्था में कम से कम 12 घंटे पूर्व संबंधित जिला प्रशासन एवं विमानन विभाग को अवगत कराना होगा तथा जिला कलेक्टर से अनुमति के बाद ही सेवाएं संचालित की जाएगी । आपात स्थिति में सेवाएं संचालित करने के लिये कम से कम 03 घंटे पूर्व कलेक्टर को सूचित करना व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

शासन द्वारा एयरसेवा ऑपरेटर्स को निम्न सुविधाएं/रियायतें प्राप्त होंगी :–

1. राज्य शासन के अधीन सभी हवाई पट्टियों के उपयोग की निःशुल्क अनुमति रहेगी ।
2. अग्निशमन सेवाएं नगर निगम द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।
3. जिला प्रशासन द्वारा हवाई पट्टी पर सामान्य सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी।
4. जिला अस्पताल द्वारा एम्बूलेंस सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

2.....

5. राज्य शासन के प्रथम श्रेणी सरकारी अधिकारी, जो वर्तमान में दिल्ली जाने की हवाई यात्रा की पात्रता रखते है वे एयर टैक्सी में प्रदेश के भीतर यात्रा करने के लिए पात्र होंगे ।

6. नॉन शैड्यूल ऑपरेटिंग (NSOP) लायसेंसधारी को विमानन विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा यह बताना होगा कि ऑपरेशन में किस प्रकार के एयरक्राफ्ट उपयोग होंगे तथा कहां से कहां तक संचालित किए जाएंगे, उसकी संभावित अवधि से भी अवगत कराना होगा । इच्छुक ऑपरेटर द्वारा सुस्पष्ट प्रस्ताव विमानन विभाग AD/3-9 में अंतिम तिथि 14.11.2014 तक जमा कर सकते हैं । एक से अधिक उपयुक्त प्रस्ताव आने पर विभाग मार्ग निर्धारण कर सकता है ।

7. ऑपरेटर द्वारा प्रतिमाह किए गए ऑपरेशन की जानकारी क्षेत्रीय निदेशक, नगर विमानन भोपाल एवं विमानन विभाग को नियमित देना होगी ।

8. वायुसेना ऑपरेटरों, पर्यटकों, उद्योगपतियों एवं मरीजों से वायु किराया लेने के लिये स्वतंत्र रहेगा ।

9. जनहित में राज्य शासन द्वारा इन निर्देशों की समीक्षा कर इसमें परिवर्तन/संशोधन कभी भी किया जा सकेगा ।

10. हवाई पट्टियों की स्थिति व अन्य विभागीय जानकारी विभागीय वेबसाईड www.cgaviation.nic.in में देखी जा सकती है तथा कैप्टन पंकज जायसवाल, उप संचालक विमानन मोबाईल नंबर :– 9425522209 (नोड्ल अधिकारी) से संपर्क किया जा सकता है ।

11. कोई भी प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने में राज्य शासन, विमानन विभाग का सर्वाधिकार सुरक्षित है ।

29.10.14

(मोहन सिंह ठाकुर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
विमानन विभाग

3.....